मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1999 (चैत्र 3,1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चनेशराम राठिया, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 28वां तथा 29वां प्रतिवेदन एवं लेखा क्रमशः वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री-

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(i) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1996-97;
(ii) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 (क्रमशः 1 जुलाई, 1996 से 30 जून, 1997 तथा 1 जुलाई, 1997 से 30 जून, 1998), तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश युनिवरसिटी सर्विस रूल्स, 1983 में संशोधन किये जाने संबंधी अधिसूचना क्रमांक 808/99/सी-3/38, दिनांक 23.3.99,

पटल पर रखेंगे

(5) श्री रत्नेश सॉलोमन, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

(क) क्रमांक एफ 20-95-बाईस-पं-2, दिनांक 4 मार्च, 1999,
(ख) क्रमांक एफ 1-28-98-बाईस-पं-2, दिनांक 4 मार्च, 1999,
(ग) क्रमांक एफ 1-19-98-बाईस-पं-2, दिनांक 5 मार्च, 1999,
(घ) क्रमांक एफ 1-4-98-बाईस-पं-2, दिनांक 5 मार्च, 1999, तथा
(ङ) क्रमांक एफ 1-22-98-बाईस-पं-2, दिनांक 5 मार्च, 1999,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री योगेश्वर राज सिंह, कुमारी शकुन्तला प्रधान तथा श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, कवर्धा जिले में अनेक डकैतियां होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बस्तर जिले में आदिवासियों को वनोपज का उचित मूल्य न मिलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री राजमणि पटेल, पी.सी.शर्मा,सदस्य, रायसेन के तालाब मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, रणवीर सिंह रावत, अजय चन्द्राकर, सदस्य, रायपुर जिले के विकासखण्ड सिमगा अन्तर्गत स्थापित सीमेन्ट प्लान्ट द्वारा प्रभावित कृषकों को रोजगार न दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.